आदेश

सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी, मार्किट कमेटी, नूहं ने अपने कार्यालय पत्र क्रमांक 277 दिनांक 26.05.2020 द्वारा अवगत कराया है कि सब्जी मण्डी नूहं के आढतियों एवं व्यापारियों ने कार्यालय मार्किट कमेटी, नूहं से अनुरोध किया है कि लोकडाउन के दौरान नूहं शहर में फल एवं सब्जी क्रय–विक्रय हेतू अनुमति दी जाये ताकि फल एवं सब्जी प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पडे। हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल पंचकूला द्वारा सचिव मार्किट कमेटी नूहं तथा जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल, नूहं को शहर के बस स्टैण्ड के नजदीक अस्थाई तौर पर फल एवं सब्जी की दुकाने/रेहडियां लगवाने बाबत निर्देश जारी किया गया है। फल व सब्जी विक्रेताओं को नूहं शहर में सब्जी विक्रय के साथ–साथ COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए कुछ शर्तो के आधार पर नई सब्जी मण्डी नूहं या नया बस स्टैण्ड नूहं के सामने अस्थाई तौर पर फल एवं सब्जी की बिक्री की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, हरियाणा शहरी स्थनीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक ADULB/Admn./2020/28396 dated 18-05-2020 व ADULB/Admn. /2020/ 29028 dated 22-05-202 के द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) के बारे में 31 मई, 2020 तक लोकडाउन की अवधि में नगरपालिकाओं के भीतर बाजार में Social distancing सुनिश्चित करने हेतू निर्देशित किया है।

उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना में मैं, पंकज, भा0प्र0से0, जिलाधीश नूहं, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की उप धारा 30 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सब्जी मण्डी नूहं के आढतियों एवं व्यापारियों के अनुरोध पर लोकडाउन के दौरान नूहं शहर में फल एवं सब्जी क्रय–विक्रय हेतू नई सब्जी मण्डी, नूहं में अस्थाई तौर पर फल एवं सब्जी की दुकाने/रेहडियां लगाने के साथ–साथ COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित शर्तो के आधार पर अनुमति प्रदान करता हूँ:–

1. सभी आढती एंव फुटकर विकेता सब्जी मण्डी में कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार व मार्केट कमेटी द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन करेगें।
2. मण्डी में स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगें तथा फल व सब्जी खरीदने आने वाले लोगो को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिये प्रेरित करेगें।
3. सभी आढती एवं फुटकर विक्रेता स्वयं मास्क लगायेंगे और फल व सब्जी खरीदने के लिये आने वाले लोगों को भी मास्क उपलब्ध करायेंगे।
4. सभी आढती एवं फुटकर विक्रेता अपनी दुकान पर Hand Sanitizer रखेंगें व समय–समय पर इसका इस्तेमाल करते रहेंगें।

Scanned with CamScanner

5. समय–समय पर अपनी दुकान व आढत को Spray Machine द्वारा Sanitizer करवायेंगे।
6. सभी आढती एवं फुटकर विक्रेता अपनी दुकान पर भीड इकठ्ठी नही होने देंगें।
7. दिल्ली, गुरुग्राम व फरीदबाद आदि शहरों से फल व सब्जी नही लायेंगें।
8. यदि मण्डी में किसी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति आने का पता चलता है तो तुरनत मार्केट को सूचित करेंगें।

उप मण्डल मैजिस्ट्रेट, नूहं, नायब तहसीलदार नूहँ तथा सचिव, मार्किट कमेटी नूहँ उक्त आदेशों को लागू कराने के लिए जिम्मेवार रहेंगें।

उप मण्डल मैजिस्ट्रेट, नूहँ इस सम्बन्ध में स्थान परिवर्तन बारे निर्णय लेने में सक्षम रहेंगें।

यह आदेश जिला मैजिस्ट्रेट, नूहं सचिव मार्किट कमेटी/नगरपालिका नूहं के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जावे तथा नूहं नगरपालिका क्षेत्र में ढोल बजाकर एवं जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, नूहं की वैन द्वारा मुनादी करवाकर तथा सोशल मिडिया के माध्यम से प्रचार किया जावे।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा आई0पी0सी0 की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर से आज दिनांक 27.05.2020 को जारी किये गए।

Seal of the Court District Magistrate
सत्यमेव जयते

जिलाधीश, नूहं।

पृ0 क्रमांक 692 /एम0बी0 दिनांक 27.05.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:–

1. पुलिस अधिक्षक, नूहँ।
2. अतिरिक्त उपायुक्त, नूहँ।
3. उप मण्डल मैजिस्ट्रेट, नूह।
4. जिला राजस्व अधिकारी, नूहँ।
5. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूहँ।
6. सिविल सर्जन, नूहँ।
7. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, नूहँ।
8. डी0आई0ओ., एन0आई0सी0, नूहँ।
9. तहसीलदार, नूहँ।
10. सचिव, मार्किट कमेटी, नूहँ।
11. सचिव, नगरपालिका, नूहँ।

जिलाधीश, नूहं।

Scanned with CamScanner